

सार्वजनिक सूचना - विभिन्न प्रयोजनों के लिए नाबार्ड का नाम और लोगो का दुरुपयोग करनेवाले बहुरूपिये

हमारी जानकारी में यह बात आई है कि कुछ अनैतिक तत्व भरती, ऋण की स्वीकृति, सब्सिडी जारी करने, स्टॉप-आदेश गारंटी, अनुदान देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड) की ओर से पैसा ले रहे हैं, झूठे पत्र / परिपत्र/ ई-मेल भेज रहे हैं और संस्थाओं/जन-सामान्य को धोखा देने के लिए नाबार्ड के नाम और लोगो का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस संबंध में हम सूचित करना चाहते हैं कि अपनी सेवा प्रदान करने के लिए नाबार्ड ने न तो किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया है और न ही सब्सिडी जारी करने के लिए जन-सामान्य को पत्र/आई-मेल जारी किए और लाभार्थियों की जानकारी, जीती हुई लॉटरी आदि की जानकारी माँगी है। नाबार्ड जन-सामान्य से सतर्क रहने का अनुरोध करता है और नाबार्ड के कर्मचारियों/ एजेंटों होने का दावा करनेवालों के शिकार न होने तथा उनके अपने हित में इस प्रकार के जाली

Public Notice -Impersonators misusing the name and logo of NABARD for various purposes

It has been brought to our notice that certain unscrupulous elements are collecting money, sending out false letters/circulars/e-mails purporting to be from National Bank For Agriculture and Rural Development (NABARD) for recruitment, sanctioning of loans, releasing of subsidies, Stop Order Guarantee, grants and seeking information regarding bank account etc. to deceive the institutions/members of general public by misusing the name and logo of NABARD. In this connection, we would like to inform that NABARD has not appointed any individual/agents for any of its services, nor NABARD send letters/e-mails seeking bank account details from the general public for releasing of subsidy, details of beneficiaries, lottery won, etc. In order to save the institutions/members of public from cheating and financial loss etc., NABARD urges the public to remain alert and not to fall prey to frauds perpetrated by individuals who impersonate to be employees/agents of NABARD. Institutions and members of public are also advised to be cautious of such persons in their own

पत्रों/ई-मेल को जवाब न देने और किसी प्रकार के लेनदेन से बचने की सलाह देता है। इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करनेवाली संस्थाएँ/व्यक्ति अपनी जवाबदारी पर करेंगे और इनके परिणामों के लिए जवाबदार होंगे। नाबार्ड इस संबंध में किसी प्रकार से जवाबदेह नहीं होगा।

interest and desist from entering into any dealings with them and not to respond to such fraudulent letters/e-mails. Institutions/members of public dealing with such persons would be doing so at their own cost and consequences and NABARD shall not be responsible for anything in this regard.